उत्तराखण्ड शासन
वित्त आयोग निदेशालय
संख्याः 362/वि.आ.निदे. (तृ.रा.वि.)/ 2012
देहरादून : दिनांकः 06 फरवरी, 2013

सचिव,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड शासन।

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार समस्त पंचायतीराज संस्थाओं *(जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत)* को विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु समनुदेशन की धनराशि अवमुक्त की गई है।

जिलाधिकारी–पौड़ी द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया है कि राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से पंचायतों को अवमुक्त धनराशि से त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों को मानेदय का भुगतान नहीं हो पा रहा है। सम्भवतः ऐसी स्थिति अन्य जनपदों में भी हो सकती है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों को मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग के स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

ज्ञातव्य है कि इस में पंचायतीराज अनुभाग के शासनादेश संख्याः 2004/xii/2011/86(10)/ 2005, दिनांकः 15.12.2011 के प्रस्तर–2 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि **"उक्त त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को मानेदय की व्यवस्था पर होने वाले व्यय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों को संकमित की जाने वाली धनराशि भी सम्मिलित है, में से वहन कर सकेगी, तथा इसके लिए पृथक से कोई बजट आवंटित नहीं किया जायेगा"।**

उपरोक्त के दृष्टिगत कृपया राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2012–13 में अवमुक्त की गई धनराशि से त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों को मानदेय भुगतान करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से समुचित आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्याः 362/वि.आ.निदे. (तृ.रा.वि.)/ 2012, तद्दिनांकित।</u>

<u>प्रतिलिपि</u>– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(2) निदेशक, पंचायतीराज निदेशालय, उत्तराखण्ड, डांडा लखौण्ड, शहस्त्रधारा मार्ग, देहरादून।

आज्ञा से,

(डा0 एम.सी. जोशी)
अपर सचिव

जिलाधिकारी
11 FEB 2013
देहरादून